

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित-

वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

ii) वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

iii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित-वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है।

vi) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

प्राक्कलन के अनुसार।

v) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल-वित्तीय परिव्यय

444520.00

vi) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित-क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न है।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः-उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

iv) जिला का भौगोलिक क्षेत्र-

803000.00 है0

v) जिला का वन क्षेत्र-

514792.00 है0

vi) मामलों की संख्या सहित 1980 से-वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

121 मामलों में 856.2745 है0 वन भूमि

vii) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित-वन भूमि

578.081 है0

(ख) वनेत्तर भूमि पर-

रिक्त

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर-

530866.00 है0

(ख) वनेत्तर भूमि पर-

रिक्त

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश-

पेयजल लाइन के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक.-20-12-2017

स्थान.- जोशीमठ

हस्ताक्षर

नाम- (चन्द्रशेखर जोशी)

सरकारी मोहर